An-4

पत्रांक- 6/अ-4-12/2004- 1601 /

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक,
(माध्यमिक शिक्षा) झारखंड, रांची ।

सेवा में,

सचिव,
सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली ।

रांची, दिनांक - 9.7.2004

विषय:- झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विधालयों को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर कहना है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने सरस्वती शिशु विधा मंदिर, भवनाथपुर नगरी, नगर-उंटारी, गढ़वा को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित शर्त्तों के साथ अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की है ।

शर्त्त एवं बन्धेज

1. विधालय की वार्षिक बचत आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विधालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है । कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विधालय के विकास में किया जायेगा । विधालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा ।
2. विधालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा ।
3. विधालय को शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि विधालय के नाम से निबंधित या कम से कम 30 बर्ष के निबंधित पट्टा/लीज पर होना चाहिये । यदि भविष्य में जांचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित रहेगा ।
4. विधालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रुप से होनी चाहिये ।
5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा ।
6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत स्थान नामांकन के लिये सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा ।
7. विधालय का कार्य-कलाप राष्ट्र के हित में होना चाहिये । विधार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक ज्ञानवर्द्धन, शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु

क्र0पृ0उ0

सकारात्मक प्रयास करना होगा ।

8. विधालय में छात्रों की समुचित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिये ।

9. विधालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या एवं योग्यता एवं नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी ।

10. विधालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शासी निकाय के सदस्यों की कार्यावधि पूर्ण होने पर नये सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा ।

11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेन्सन प्रोग्राम तथा एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 स्काउट एवं गाईड आदि को सुचारु रुप से करना होगा ।

12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5-9-2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा ।

13. उपर्युक्त शर्तों या बन्धेजो का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द करने का अधिकार होगा ।

14. अनापत्ति प्रमाण -पत्र के लिये विधालय द्वारा समर्पित कागजातों एवं अभिलेखों को जाली अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय पर विधालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है ।

15. विधालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धेजो को अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड, के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विधालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमीय अनियमितताओं की जाँच करा सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

16. एतद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विधालय सम्बद्धन संबंधी जो निर्णय लिये जायेंगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्तों का उलंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विश्वासभाजन

Ram Kumar Sd/-

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, राँची

ज्ञापांक---1601---/राँची, दिनांक - 7.7.2002

प्रतिलिपि, क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, पलामू प्रमंडल, पलामू/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा एवं संबंधित विधालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित ।

Ram Kumar Sd/-

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, राँची ।

कृ0पू0उ0

ज्ञापांक 1601 / रांची, दिनांक - 9.7.04

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची ।
9/7/04